HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 864/2014

1. Smt. Sharda Devi W/o Late Shri Phool Singh, Aged about 35 years, R/o Village Khajpura, Via Hatundi, Tehsil and District Ajmer.
2. Sanjay Singh S/o Late Shri Phool Singh, Aged 16 years,
3. Kavita D/o Late Shri Phool Singh, Aged about 14 years,
4. Pappu Singh S/o Late Shri Phool Singh, Aged 12 years,
5. Lalita D/o Late Shri Phool Singh, Aged about 10 years, Appellant No.2 to 5 are minors and as such are being represented by their natural guardian i.e. mother appellant no.1,
6. Devi Singh Rawat S/o Late Shri Nanga Singh,
7. Smt. Ganga Singh W/o Late Shri Deva Singh,
   R/o Village Khajpura, Via Hatundi, Tehsil and District Ajmer.

----Appellants

Versus

1. Sukhdev S/o Shri Ramkaran, R/o Dumada Via Saradhna, P.S. Mangaliawas, Ajmer. (Driver of Pick-Up No. RJ-01-GA-3777)
2. Shri Shyam Lakhwani S/o Shri Chouthmal Lakhwani, Proprietor, Mahalaxmi Gajak Rewari Bhandar, R/o 156-F, Chandra Bardai Nagar, P.S. Ramganj, Ajmer. (Owner of the Vehicle)
3. Chola Mandalam M.S. General Insurance Company Ltd. through its Senior Divisional Manager, Option Z, 2nd Floor, Opp. to Hotel Nest, C.G. Road, Ahemdabad-380009.

----Respondents

<u>Connected With</u>

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3947/2013

1. Smt. Meera W/o Late Shri Phool Singh, Aged 29 years,
2. Master Himanshu S/o Late Shri Phool Singh, Aged 4 years, Minor through his natural guardian and mother Smt. Meera W/o Late shri Phool Singh,
   Both are R/o House No.283, B Block, Chandarvardai

Nagar, Ajmer, Raj.

----Claimants/Appellants

Versus

1. Sukhdev S/o Shri Ramkaran, R/o Village Dumada Via Saradhana, P.S. Mangaliyawas, Ajmer. (Driver)
2. Mahalakshmi Gajak Revadi Bhandar, through Prop./Owner Shri Shyam Lakhwani S/o Shri Chouthmal Lakhwan, R/o 156 F, Chandravardai Nagar, P.S. Ramganj, Ajmer, Raj. (Owner)
3. The Chaula Mandalam M.S. General Insurance Company Ltd., Dara House, Second Floor No. 234, N.S.C. Bora Road, Chennai and E-52, Second Floor, A.R.G. Building, Chitranjan Marg, C-Scheme, Jaipur through Regional Manager.

----Non-Claimants/Respondents

4. Smt. Sharda Devi W/o Late Shri Phool Singh, Aged 32 years,
5. Sanjay Singh S/o Late Shri Phool Singh, Aged 17 years,
6. Ms. Kavita D/o Late Shri Phool Singh, Aged 15 years,
7. Pappu Singh S/o Late Shri Phool Singh, Aged 13 years,
8. Kum. Lalita D/o Late Shri Phool Singh, Aged 11 years,
9. Deva Singh Rawat S/o Late Shri Ganga Singh, Aged 6 years,
10. Smt. Ganga Singh Rawat S/o Late Shri Deva Singh Rawat, Aged 65 years,
    No.4 to 10 are R/o Village Khajpura Via Hatundi, Tehsil and District Ajmer, Raj.

----Claimants/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Dharmendra Joshi, Adv. In CMA No. 864/2014 Mr. Sandeep Mathur, Adv. In CMA No. 3947/2013
For Respondent(s)	:	Mr. Ram Singh Rathore, Adv. Mr. Ram Singh Bhati, Adv. For Insurance company Mr. Sandeep Pathak, Adv. In CMA No. 3947/2013

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

04/05/2026

1. अपीलार्थीगण श्रीमती शारदा देवी व अन्य की ओर से प्रस्तुत दीवानी विविध अपील संख्या 864/2014 एवं अपीलार्थीगण मीरा व अन्य की ओर से प्रस्तुत दीवानी विविध अपील संख्या 3947/2013, दोनों दीवानी विविध अपीलें धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर, राज0 (जिसे आगे ''विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या–331/2010, श्रीमती शारदा देवी बनाम सुखदेव व अन्य व क्लेम याचिका संख्या–426/2010, श्रीमती मीरा व अन्य बनाम सुखदेव व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

2. अपीलार्थीगण शारदा देवी व अन्य द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष फूलसिंह की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप 5,15,96,960/– रूपये क्लेम प्राप्त करने हेतु तथा अपीलार्थीगण मीरा व अन्य की ओर से फूलसिंह की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप 7,96,11,408/– रूपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थीगण शारदा देवी व अन्य को कुल 31,87,350/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी तथा अपीलार्थीगण मीरा देवी व अन्य की उक्त क्लेम याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज की गई। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण शारदा देवी व अन्य की ओर से उक्त अपील क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु तथा अपीलार्थीगण मीरा व अन्य की ओर से उक्त अपील विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय अपास्त कर क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

3. **अपील संख्या–864/2014** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री धर्मेन्द्र जोशी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा

मृतक की आय 3,19,370/— रूपये वार्षिक निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि पत्रावली पर प्रस्तुत मृतक की अंतिम आयकर रिटर्न के अनुसार मृतक का 5,48,447/— रूपये वार्षिक आय प्राप्त करना स्पष्ट है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक पर आश्रितों की संख्या 5 निर्धारित की जाकर आश्रितता की मद में क्षतिपूर्ति राशि में 1/4 भाग की कटौती की जाकर भी त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. **सिविल विविध अपील संख्या—3947/2013** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री संदीप माथुर का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को मृतक पर आश्रित नहीं माना जाकर तथा अपीलार्थीगण की क्षतिपूर्ति याचिका खारिज की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि अपीलार्थिया मीरा वक्त घटना मृतक फूलसिंह की पत्नी व अपीलार्थी संख्या 2 मृतक का पुत्र था। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण का निर्णय अपास्त किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जाने की प्रार्थना की गई।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी की ओर से विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपीलों को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. दोनों अपीलों का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है।

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

अपील संख्या–864/2014 :–

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 28.04.2010 की बताई गयी है तथा क्लेम याचिका में अपीलार्थीगण द्वारा वक्त घटना मृतक को 34 वर्ष की आयु का होना बताते हुए पी.ए.सी.एल. इण्डिया लिमिटेड में Estate officer के पद पर कार्यरत होना बताया गया है। मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष मृतक की आयकर रिटर्न्स प्रदर्श–29 व 30 तथा प्रदर्श–33 व 36ए पत्रावली पर पेश की गयी हैं, जिनमें आयकर रिटर्न प्रदर्श–29 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2007–08 में मृतक की वार्षिक आय 2,23,491/– रूपये, प्रदर्श–30 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2008–09 में मृतक की वार्षिक आय 3,01,340/– रूपये, प्रदर्श–33 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2009–10 में मृतक की वार्षिक आय 3,96,043/– रूपये तथा प्रदर्श–36ए के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2010–11 में मृतक की वार्षिक आय 5,48,447/– रूपये होना जाहिर है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मृतक की आयकर रिटर्न्स प्रदर्श–29 व 30 तथा प्रदर्श–33 व 36ए का औसत निकालकर मृतक की वार्षिक आय 3,19,370/– रूपये निर्धारित की गई है। जबकि विद्वान अधिकरण को मृतक की आय उसके द्वारा दाखिल की गयी अंतिम आयकर रिटर्न के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। जहां तक मृतक की मृत्यु पश्चात् दाखिल की गयी आयकर विवरणिका का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Nidhi Bhargava & Ors. Vs. National Insurance Company Ltd. & Ors [Special Leave Petition (Civil) No. 10664/2019]** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि :–

> "**12.** Just because on the date of the accident i.e., 12.08.2008, the Return for the Assessment Year 2008-2009 had not been filed, cannot disadvantage the appellants, for the reason that the period for which the Return is to be submitted covers the period starting 1st of April, 2007 and ending 31st March, 2008. Thus, for obvious reasons, the

> Return would be only for the period 01.04.2007 to 31.03.2008, and date of submission would be post-31.03.2008. No income earned beyond 31.03.2008 would reflect in the Income Tax Return for the Assessment Year 2008-2009. To reject the Return on the sole ground of its submission after the date of accident alone, in our considered view, cannot be legally sustained."

9. इस प्रकार **निधि भार्गव (उपरोक्त)** के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि उक्त मामले में दुर्घटना दिनांक 12.08.2008 को घटित हुई, जिसके कर निर्धारण वर्ष 2008–2009 की आयकर विवरणिका दाखिल नहीं किये जाने मात्र से अपीलार्थीगण को कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि 01 अप्रैल, 2007 से शुरू होकर 31 मार्च, 2008 को समाप्त होती है। इस प्रकार निश्चित रूप से रिटर्न 01.04.2007 से 31.03.2008 तक की अवधि के लिए होगा और रिटर्न जमा कराने की तिथि 31.03.2008 के बाद की होगी। इस प्रकार दुर्घटना की तिथि के बाद रिटर्न जमा करने के आधार पर उक्त आयकर विवरणिका को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

10. हस्तगत मामले में भी मृतक की कर निर्धारण वर्ष 2010–11 की आयकर विवरणिका प्रदर्श–36ए घटना की तिथि के पश्चात् दाखिल की गयी है, जिस पर विद्वान अधिकरण द्वारा विश्वास नहीं किया जाकर त्रुटि कारित की गयी है। इन परिस्थितियों में हम, **निधि भार्गव (उपरोक्त)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए मृतक की कर निर्धारण वर्ष 2010–11 की आयकर विवरणिका प्रदर्श–36ए में अंकित आय 5,48,447/– रुपये को मृतक की वार्षिक आय निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। उक्त आय में से तत्समय आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1,60,000/– रुपये तक की आय पर आयकर शून्य, 1,60,001/– रूपये से 3,00,000/– रुपये तक की आय पर आयकर 10 प्रतिशत, 3,00,001/– रूपये से 5,00,000/– रूपये तक की आय पर आयकर 20 प्रतिशत तथा 5,00,000/– रूपये से उपर की आय पर 30 प्रतिशत आयकर देय था। जिसके अनुसार 1,60,000/– रूपये तक की आय पर आयकर कटौती शून्य, 1,60,001/– रूपये से 3,00,000/– रूपये

तक की आय पर 10 प्रतिशत आयकर कटौती 14,000/– रूपये, 3,00,001/– रूपये से 5,00,000/– रूपये तक की आय पर 20 प्रतिशत आयकर कटौती 40,000/– रूपये तथा मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 5,48,447/– में से 5,00,000/– रूपये घटाने के उपरान्त शेष राशि 48,447/– रूपये की आय पर 30 प्रतिशत आयकर कटौती 14,534/– रूपये होती है। इस प्रकार कुल 14,000 + 40,000 + 14,534 = 68,534/– रूपये की राशि मृतक की निर्धारित वार्षिक आय में से आयकर कटौती के रूप में काटा जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय आयकर राशि 68,534/– रूपये को मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 5,48,447/– रूपये में से घटाते हुए मृतक की कुल वार्षिक आय 4,79,913/– रूपये निर्धारित किया जाना उचित समझती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 34 वर्ष 11 माह निर्धारित की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित वार्षिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 10 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की गई है। चूंकि वक्त घटना मृतक 34 वर्ष 11 माह की आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित वार्षिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 4,79,913/–रुपये का 40 प्रतिशत 1,91,965/– रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल वार्षिक आय 6,71,878/– रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

11. वक्त घटना मृतक पर कुल 7 आश्रित बताये गये हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी संख्या 6 मृतक के पिता व अपीलार्थी संख्या 7 मृतक की माता को मृतक पर आश्रित नहीं माना जाकर तथा मृतक पर केवल अपीलार्थी संख्या–1 लगायत 5 को आश्रित माना जाकर निर्धारित वार्षिक आय पर मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग की कटौती की गई है, जिसे संशोधित किया जाना हम उचित समझते है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 6,71,878/– रुपये का 1/5 भाग 1,34,376/– रुपये

होता है, जिसे निर्धारित वार्षिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 5,37,502/— रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 34 वर्ष 11 माह निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 16 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में 16 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जो उचित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 5,37,502/— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति **5,37,502 x 16 = 86,00,032/— रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी संख्या—1 लगायत 7 को कंसोर्टियम की मद में प्रत्येक को 10,000/— रूपये, कुल 70,000/— रूपये की राशि दिलवायी गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

13. ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या—1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/— रूपये, मृतक के बच्चे अपीलार्थी संख्या—2 लगायत 5 को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में प्रत्येक को 40,000/— रूपये तथा मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या 6 व 7 को ''फिलियल कंसोर्टियम'' की मद में प्रत्येक को 40,000/— रूपये (कुल 2,80,000/— रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझती हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 5,000/– रुपये की राशि दिलवाई गई है। अतः अंतिम संस्कार की मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः सम्पदा की हानि के मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को परिवहन व्यय की मद में 1,000/– रूपये की राशि दिलवाई गई है, जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के आलोक में देय नहीं है। अतः उक्त मद में हम कोई राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित नहीं समझते हैं।

<u>सिविल विविध अपील संख्या–3947/2013 :–</u>

17. अपीलार्थीगण मीरा व अन्य की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील में अपीलार्थीगण की ओर से मुख्यतः यह आपत्ति ली गई है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को मृतक पर आश्रित नहीं माना जाकर तथा अपीलार्थीगण की क्षतिपूर्ति याचिका खारिज की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि अपीलार्थिया मीरा वक्त घटना मृतक फूल सिंह की पत्नी व अपीलार्थी हिमांशु मृतक का पुत्र था।

18. उक्त आपत्ति के संबंध में अपीलार्थिया मीरा ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह मृतक की दूसरी पत्नी है, उसकी पहली पत्नी शारदा देवी है। इस कारण अपीलार्थिया मीरा देवी को मृतक की वैध विवाहिता पत्नी नहीं माना जा सकता तथा वह फूल सिंह की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप कोई क्षतिपूर्ति बतौर पत्नी प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है, किन्तु प्रदर्श–53 सैंट फ्रांसिस अस्पताल, अजमेर के रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थिया मीरा ने

बच्चे को जन्म दिया है व बच्चे के पिता का नाम उक्त चिकित्सकीय अभिलेख में फूल सिंह अंकित किया गया है तथा प्रदर्श–54 जन्म प्रमाण पत्र है जो कि नगर निगम, अजमेर द्वारा जारी किया गया है, के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी संख्या–2 हिमांशु, जिसका जन्म सैंट फ्रांसिस अस्पताल, अजमेर में हुआ था, उसकी मां अपीलार्थिया मीरा व पिता मृतक फूल सिंह है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य साबित होता है कि अपीलार्थी संख्या–2 मास्टर हिमांशु, मृतक फूल सिंह व अपीलार्थिया मीरा का पुत्र है। ऐसी स्थिति में मृतक का पुत्र होने के कारण, अपीलार्थी संख्या–2 हिमांशु क्षतिपूर्ति राशि का कुछ भाग प्राप्त करने का अधिकारी है।

19. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीगण मीरा व अन्य की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या 3947/2013,** अपीलार्थिया मीरा देवी की सीमा तक अस्वीकार कर खारिज की जाती है, किन्तु अपीलार्थी संख्या–2 हिमांशु जो कि मृतक फूल सिंह का पुत्र है, के पक्ष में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति राशि में से 5,00,000/– रुपये की राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

20. अतः अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स श्रीमती शारदा व अन्य निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (राशि रूपये में)**
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	86,00,032/–
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 2,80,000/–
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/–
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/–
	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि	**89,10,032/–**
	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)	31,87,350/–
	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	**57,22,682/–**

21. उपरोक्तानुसार अपीलार्थीगण शारदा व अन्य की ओर से संस्थित **सिविल विविध अपील संख्या–864/2014**, आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को

31,87,350/— रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **89,10,032/— रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है।

22. अपीलार्थीगण मीरा व अन्य की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या—3947/2013,** अपीलार्थिया मीरा देवी की सीमा तक अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलार्थी संख्या—2 हिमांशु, जो कि मृतक फूल सिंह का पुत्र है, के पक्ष में इस न्यायालय द्वारा **सिविल विविध अपील संख्या—864/2014** में निर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति राशि में से 5,00,000/— रुपये की राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि उक्त 5,00,000/— रूपये की राशि तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा रखी जावे व उक्त सावधि खाता के परिपक्व होने पर उसमें जमा राशि मय ब्याज जरिये माता मीरा, अपीलार्थी हिमांशु प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

23. अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

24. इस निर्णय द्वारा बढाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

25. तद्नुसार उपरोक्त अपीलें निस्तारित की जाती है।

26. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को लौटाया जावे।

27. सभी लम्बित प्रार्थना—पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal/6-7